न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 05 / 2025
3. उनवान : सरकार जरिये श्री रमेश चन्द यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

–आवेदक

बनाम

1. श्री जुगल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री शंकर लाल अग्रवाल
   मैसर्स पूरवांश ट्रैडर्स पुरानी अनाज मंडी, सांभरलेक जिला जयपुर –303604
   निवासी– मालवों की गली, छोटा बाजार, अमीपुर, सांभरलेक, जयपुर–303604, मो0नं0–9828124126
2. पुरुषोत्तम बंसल (प्रोपराईटर)
   मैसर्स पूरवांश ट्रैडर्स पुरानी अनाज मंडी, सांभरलेक जिला जयपुर –303604
3. PURAN PRAKASH JANVEJA (PROPRIETER)
   M/S DURGA TRADING COMPANY 5D, 4-A, KABIR MARG, BANIPARK, JAIPUR-302016
4. PATEL BHARAT KALUBHAI (NOMANI)
   M/S SHRI HARSH DAIRY & FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED 513, 5TH FLOOR SHREEJI PLAZA, NR. LAXMI SKY CITY, DASTAM CIRCLE, S.P. RING ROAD, AHAMDABAD, GUJRAT, INDIA

–अभियुक्तगण

4. निर्णय दिनांक : 30.06.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4 की ओर से।

निर्णय

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii) / 51, 54, 58 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक रमेश चन्द यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय दिनांक 05–04–2024 को समय दोपहर 1.30 पी.एम. मैसर्स पूंवाश ट्रैडर्स, पुरानी अनाज मंडी, सांभरलेक, जिला जयपुर पहुंचे। वहां पर श्री जुगल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री शकरलाल अग्रवाल उपस्थित थे तथा पूछने पर स्वयं को इस फर्म का विक्रेता होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जुगल किशोर अग्रवाल से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन, स्वयं के आधार कार्ड एवं माल के अग्रिम खरीद बिल की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान वहां 12 सील्ड पैकेट देशी घी (गोपी श्री) 500 एम.एल. पैक्ड वजन वाले आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। इससे गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर उपरोक्त में से

अतिरिक्त कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

वास्ते नमूना जांच हेतु 4 सील पैकेट देशी घी (गोपी श्री) (4X500ml) खरीदकर उसकी कीमत 800/– रुपये विक्रेता श्री जुगल किशोर अग्रवाल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री महेश अग्रवाल एवं अवधेश गुप्ता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे जुगल किशोर अग्रवाल ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स. 5ए की एक प्रति विक्रेता जुगल किशोर अग्रवाल को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 सील पैकेट देशी घी (गोपी श्री) पैक्ड (4X500ml) मूल ही लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक एन–4001 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एन.–4001 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म न. 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग गय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/416 दिनांक 02.05.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं एलएस/1315/एक्ट/2024/1501 दिनांक 18.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ देशी घी (गोपी श्री) सबस्टैण्डर्ड Contravenes Regulation no.2.2.7.(2) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वास्ते मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड Contravenes Regulation no.2.2.7.(2) देशी घी (गोपी श्री) 500 एम.एल. पैक्ड का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिससे अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 54 एवं 58 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जावे।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्तगण को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अभियुक्त संख्या 1 लगा0 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर 2

ने उपस्थिति दी। दिनांक 21.05.2025 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से पेश जवाब में अंकित है कि अप्रार्थीगण को खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी नोटिस न्यायोचित नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र तथा समस्त दस्तावेज जो परिवाद पत्र के साथ पेश किये हैं उससे प्रथम दृष्ट्या मामला सब स्टैण्डर्ड ब्राण्ड का अप्रार्थीगण के खिलाफ नहीं बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 को खाद्य पदार्थ घी ''गोपी श्री'' ब्राण्ड 500 एम.एल. का पैकेट सील्ड हालत में प्राप्त हुआ था जिस कारण से विपक्षी नम्बर 1 लगा0 3 को कोई जानकारी नहीं थी ना ही उनके पास कोई शंका करने का कारण था कि उक्त घी में कोई कमी थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 से व अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 4 निर्माता फर्म से उसी सील बंद हालात में पैकेट खरीद किया गया था तथा बिल भी प्राप्त किया था। उक्त खाद्य पदार्थ घी के पैकेट में कोई कमी किसी भी रुप में पाई जाती है तो इसका निर्माता उसके लिये जिम्मेदार होगा। अप्रार्थीगण को जांच रिपोर्ट की प्रति ना देकर उनको नमूना पुनः जांच के अधिकार से वंचित कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 37 सपठित नियम 2.1.3 एफ.एस.एस. नियम के तहत नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखता था। इसलिये उसकी जब्ती की कार्यवाही अवैध है। अभिहित अधिकारी एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 36 सपठित नियम 2.1.2 एफ.एस.एस. नियम के तहत नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखता था। इसलिये अभियोजन स्वीकृती की कार्यवाही भी अवैध है। नमूना लेने की दिनांक को घी में फैटी एसिड प्रोफाइल की जांच कानून में वर्णित नहीं थी। जांच रिपोर्ट में फोरेन फैट किस प्रकार का है यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है। निर्माता फर्म अधिनियम के नियमानुसार ही पूर्ण रुप से घी में मौजूद सभी मानकों के अनुरुप व पैरामीटर के आधार पर ही माल पैक करती है तथा निर्माता फर्म के द्वारा खाद्य पदार्थ घी विक्रय किये जाने के पश्चात खाद्य पदार्थ घी में प्राकृतिक वातारवरण, मौसम, रख रखाव, तापमान के प्रभाव के कारण भी मानक कुछ स्तर पर ऊपर नीचे होने की सम्भावना रहती है जो मानव नियंत्रण से बाहर है। अतः अभियुक्तगण के खिलाफ आवेदन पत्र को निरस्त फरमावे।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया है कि अप्रार्थीगण को खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी नोटिस न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 को खाद्य पदार्थ घी ''गोपी श्री'' ब्राण्ड 500 एम. एल. का पैकेट सील्ड हालत में प्राप्त हुआ था जिस कारण से विपक्षी नम्बर 1 लगा0 3 को कोई जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 से व अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 4 निर्माता फर्म से उसी सील बंद हालात में पैकेट खरीद किया गया था तथा बिल भी प्राप्त किया था। उक्त खाद्य पदार्थ घी के पैकेट में कोई कमी किसी भी रुप में पाई जाती है तो इसका निर्माता उसके लिये जिम्मेदार होगा। अप्रार्थीगण को जांच रिपोर्ट की प्रति ना देकर उनको नमूना पुनः जांच के अधिकार से वंचित कर दिया है। नमूना लेने की दिनांक को घी में फैटी एसिड प्रोफाइल की जांच कानून में वर्णित नहीं थी। जांच रिपोर्ट में फोरेन फैट किस प्रकार का है यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है। निर्माता फर्म अधिनियम के नियमानुसार ही पूर्ण रुप से घी में मौजूद सभी मानकों के अनुरुप व पैरामीटर के आधार पर ही माल पैक करती है तथा निर्माता फर्म के द्वारा खाद्य पदार्थ घी विक्रय किये जाने के पश्चात खाद्य पदार्थ घी में प्राकृतिक वातारवरण, मौसम, रख रखाव, तापमान के प्रभाव के कारण भी मानक कुछ स्तर पर ऊपर नीचे होने की सम्भावना रहती है जो मानव नियंत्रण से बाहर है। अन्त में अभियुक्तगण के खिलाफ आवेदन पत्र को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या एलएस/1315/एक्ट/2024/1501 दिनांक 18.04.2024 के

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ देशी घी (गोपी श्री) सबस्टैण्डर्ड एवं Contravenes Regulation no.2.2.7.(2) पाया गया। अतः अप्रार्थीगण द्वारा देशी घी (गोपी श्री) 500 एम.एल. पैकड का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिससे अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 54 एवं 58 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने आवेदन पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1315/एक्ट/2024/1501 दिनांक 18.04.2024 के अनुसार घी "Ghee is Sub-standard as it is not derived exclusive from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it aslo Contravenes Regulation no.2.2.7.(2) of FSSA 2011 due to presence of foreign fat." पाया गया। FSSA 2006 के नियम 26 के अनुसार खाद्य कारोबारी व नियम 27 के अनुसार विनिर्माता, पक्षकार, थोक विक्रेता, वितरक व विक्रेता का उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है और साथ ही अप्रार्थीगण Sub-standard and foreign fat मिले हुये घी के लिये भी जिम्मेदार हैं। विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया देशी घी (गोपी श्री) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। जिससे सुस्पष्ट है कि सब–स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ देशी घी का क्रय/निर्माण करके विक्रय किया गया, जिसके लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्तगण द्वारा सब–स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ देशी घी (गोपी श्री) का उत्पादन, वितरण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51, 54 व 58 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51, 54 एवं 58 के तहत अभियुक्त संख्या 4 पर **5,00,000 (पांच लाख)** रुपये, अभियुक्त संख्या 3 पर **2,00,000 (दो लाख)** रुपये तथा अभियुक्त संख्या 1 व 2 पर पृथक–पृथक **1,00,000–1,00,000 (एक–एक लाख)** की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय), जयपुर